जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2024/डी– **दिनांकः–**

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 198वीं बैठक दिनांक 22.08.2024 को सायं 04:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	198:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 197वीं बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत्।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 197वीं बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। पूर्व बैठकों की अनुपालना सभी जोन कार्यालयों से प्राप्त हो चुकी है।
2.	02	198:2	ग्राम पंचायत अखैपुरा पं.स. आमेर को ग्राम पंचायत भवन व अटल सेवा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा ग्राम पंचायत अखैपुरा पं.स. आमेर को ग्राम पंचायत भवन व अटल सेवा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर पंचायत भवन हेतु 500 व.मी. भूमि एवं अटल सेवा केन्द्र हेतु 250 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	02	198:3	स्वर्ण जयंती पार्क के मुख्य गेट के पास निर्मित ई.डब्ल्यू.एस क्वाटर्स में आवंटन से शेष क्वार्टरों में काबिज व्यक्तियों को आवास आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा स्वर्ण जयंती पार्क के मुख्य गेट के पास निर्मित ई.डब्ल्यू.एस क्वाटर्स में आवंटन से शेष 12 क्वार्टरों में काबिज व्यक्तियों को आवास आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर क्वार्टर संख्या 31/8 एवं 32/8 को अतिक्रमण मुक्त करवाकर जविप्रा के कब्जें में लिया जावे। क्वार्टर संख्या 26/8, 30/8, 36/8 एवं 35/8 के अतिक्रमियों द्वारा भूखण्ड आवंटन से पूर्व सिविल न्यायालय में दायर [illegible] को [illegible] करवाया जावे। तथा

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2024.08.28 1[illegible]:15:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10005522

				समस्त 12 अतिक्रमियों को नियमानुसार ई. डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में आवास आवंटन हेतु ली जाने वाली राशि के प्रावधान अनुरूप राशि लेकर आवंटन की कार्यवाही की जावे।
4.	08	198:4	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा के आवास संख्या–1377 का आवंटन पत्र जारी करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा के आवास संख्या–1377 का आवंटन पत्र जारी करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन को निर्देशित किया कि आवेदक को आवंटन की पात्रता, आवास में रहवास की अवधि व रहवास का साक्ष्य, आवंटन नीति व प्रक्रिया आदि के संबंध में पूर्ण परीक्षण कर सम्पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का अकंन करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करावें।
5.	14	198:5	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या–65(II) में प्रस्तावित संभागीय स्तर पर Sports Colleges हेतु जविप्रा की योजना नॉलेज सिटी साउथ चितौड़ा के Sports Facilities के भूखण्ड संख्या SF-1 क्षेत्रफल 4.17 हैक्ट. एवं भूखण्ड संख्या SF-2 क्षेत्रफल 10.40 हैक्ट. कुल 14. 57 हैक्ट. भूमि के आंवटन बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के बिन्दु संख्या–65(II) में प्रस्तावित संभागीय स्तर पर Sports Colleges हेतु जविप्रा की योजना नॉलेज सिटी साउथ चितौड़ा के Sports Facilities के भूखण्ड संख्या SF-1 क्षेत्रफल 4.17 हैक्ट. एवं भूखण्ड संख्या SF-2 क्षेत्रफल 10.40 हैक्ट. कुल 14.57 हैक्ट. भूमि के आंवटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा– निर्देशों में संभाग स्तर पर स्टैडियम हेतु न्यूनतम 10 हैक्ट. भूमि का मापदण्ड निर्धारित है परन्तु कॉलेज के संदर्भ में कोई दिशा–निर्देश नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर खेल स्टेडियम के अनरूप ही जविप्रा की योजना नॉलेज सिटी साउथ चितौड़ा के Sports Facilities के भूखण्ड संख्या SF-2 क्षेत्रफल 10.40 हैक्ट. भूमि को स्पोर्ट कॉलेज हेतु भू–आवंटन नीति, 2015 के बिन्दु संख्या–9 के अनरूप आरक्षित

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2024.08.28 12:15:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10005522

				दर पर आवंटन करने की अभिशंसा राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदया की अनुमति से एक अतिरिक्त एजेण्डा जोड़ा गया				
6.	12	198:6	श्री माहेश्वरी समाज जयपुर द्वारा ग्राम जयपुरियो का बास तह. जयपुर में स्थित निजी खातेदारी योजना श्रीधर नगर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3408.00 वर्गमीटर भूमि में जनोपयोगी/सामुदायिक भवन हेतु आवंटन के क्रम में।	उपायुक्त जोन द्वारा श्री माहेश्वरी समाज जयपुर द्वारा ग्राम जयपुरियो का बास तह. जयपुर में स्थित निजी खातेदारी योजना श्रीधर नगर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3408.00 वर्गमीटर भूमि में जनोपयोगी/सामुदायिक भवन हेतु आवंटन के क्रम में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन को निर्देशित किया कि– आवंटन हेतु प्रस्तावित सोसायटी में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित अन्य भूखण्ड मय क्षेत्रफल मय उपलब्धता, विकास समिति की सहमति, सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि क्षेत्रफल के निर्धारित मापदण्ड, वाद–विवाद/आपत्ति आदि के संबंध में प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करावें।
बजट घोषणा 2024–25 हेतु भूमि आवंटन के प्रस्तावों पर चर्चा				
7.	12	198:7	खेल–स्टेडियम, बगरू हेतु भूमि आवंटन	जोन कार्यालय द्वारा खेल स्टेडियम, बगरू को ग्राम बड़ी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 117, 118, 119 कुल रकबा 7.66 हैक्ट. भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर खेल स्टेडियम हेतु भूमि क्षेत्रफल के मापदण्ड (तहसील स्तर पर 8 हैक्ट.) के अनरूप ही जविप्रा स्वामित्व के खसरा नम्बर 117, 118, 119 कुल रकबा 7.66 हैक्ट. ग्राम बड़ी का खेड़ा तहसील सांगानेर में भूमि आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
8.	12	198:8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीदंड़ (क्रमोन्नत) हेतु भूमि	जोन कार्यालय द्वारा ग्राम नीदंड़ तहसील रामपुरा डाबड़ी के खसरा नम्बर 2043 किस्म बारानी कुल रकबा 0.34 हैक्ट. में से 2900 व.

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2024.08.28 12:15:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10005522

			आवंटन	मी. भूमि एवं खसरा नम्बर 2034 किस्म बारानी कुल रकबा 0.86 हैक्ट में से 1100 व.मी. भूमि कुल 4000 व.मी. भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीदंड़ को आवंटन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति द्वारा जोन के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीदंड को ग्राम नीदंड़, रामपुरा डाबड़ी के खसरा नम्बर 2043 कुल रकबा 0.34 हैक्ट. किस्म बारानी–ए में से 600 व.मी. भूमि आवंटित की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीदंड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कमोन्नत किया गया है। समिति ने ग्राम नीदंड़, रामपुरा डाबड़ी के खसरा नम्बर 2043 कुल रकबा 0.34 हैक्ट. में शेष उपलब्ध 2800 व.मी. भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीदंड़ को निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
9.	12	198:9	नवीन राजकीय महाविद्यालय, कालवाड़ हेतु भूमि आवंटन	जोन कार्यालय द्वारा ग्राम मण्डा भोपावास तहसील– कालवाड़ के खसरा नम्बर 246/1 कुल रकबा 5.33 हैक्ट. किस्म चरागाह में से 20,235 व.मी. भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुसार महाविद्यालय हेतु 10,000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2024.08.28 12:15:03 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन ... फैक्स ...
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gov.in}

RajKaj Ref No.: 10005522

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-I, II/नगर-आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण-प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature valid
Digitally signed by Priya Balram Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2024.08.28 12:15:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10005522